eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 09, September 2024

भारत में आरक्षण व्यवस्थाः एक विश्लेषण

आरती सोलंकी[1], प्रोफेसर विन्नी जैन[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, उत्तर प्रदेश
[2]विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, उत्तर प्रदेश

Received: 15 Sep 2024 Accepted & Reviewed: 25 Sep 2024, Published : 30 Sep 2024

Abstract

आरक्षण एक व्यवस्था है जिसे सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है। असमानता को दूर करने की जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति समान जीवन का निर्वाह कर सके इसके अलावा, आरक्षण के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण रहा है। भारत में आरक्षण सदैव एक विवाद और बहस का विषय रहा है। भारतीय राजनीति में आरक्षण की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद आरक्षण की व्यवस्था भारत की राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गई है।

अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था में दोष नहीं है किंतु उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सदैव ही राजनीति विद्यमान रही है। अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं, बच्चों, विकलांगों को भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक समय समय पर आरक्षण में परिवर्तन होता रहता है ताकि समानता सदैव विद्यमान रहे। आरक्षण एक सकारात्मक विभेद है जो दलित शोषित वर्गों के कल्याण हेतु अस्तित्व में बना हुआ है इसका अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति को समानता के साथ शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

शब्द संक्षेप – भारतीय राजनीति, आरक्षण, समानता, शिक्षा, रोजगार।

Introduction

भारत की स्वतंत्रता के बाद दलित शोषित वंचित तथा पिछड़े लोगों को अन्याय से बचाने के लिए ऐसे प्रावधानों के स्वरूप भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को लाया गया था। आरक्षण की व्यवस्था को लाने का मुख्य कारण यही था कि दलित शोषित और पिछड़ा वर्ग है उन्हें प्रत्येक प्रकार की समानता व अवसर प्राप्त हो सके और अन्याय से उन्हें मुक्ति मिल सके हालांकि भारत की स्वतंत्रता से पहले भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय समाज में विद्यमान थी जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय एकता को विखंडित करने के लिए राजनीतिक स्वरूप में दी गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक तौर पर इस आरक्षण की व्यवस्था को शुरू किया गया था।

आरक्षण एक विवादास्पद शब्द वर्तमान समय में बनता हुआ प्रतीत होता है। जैसा कि बताया गया है आरक्षण सदैव सकारात्मक भेदभाव के लिए प्रयोग में लाया गया है और लाया जाता रहेगा किंतु वर्तमान राजनीति के द्वारा कहीं ना कहीं इसे जातिगत आधार बनाकर मत प्राप्त करने का साधन भी बनाया गया हैं आरक्षण पर विवाद का सबसे मुख्य कारण भारतीय समाज की अधिक जनसंख्या और संसाधनों का सीमित होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जब कोई भी एक वर्ग यह समझता है कि उसके अधिकारों का अधिग्रहण किया जा रहा है और संबंधित विशेष वर्ग को लाभ दिया जा रहा है तो विवादउत्पन्न होता है। दूसरा मुख्य कारण समाज तथा वर्ग में कुछ मिथक है कुछ चर्चाएं है जो पीढ़ी दर पीढ़ीआगे चलती जाती है। चर्चाओं का माध्यम एक प्रकार की सोच है जो यह समझती है की जो आरक्षण है वह उन लोगों को

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 09, September 2024

दिया जाता है जो अयोग्य है या जिनमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है तथा यह समझा जाता है की यही अयोग्य के लोग योग्य व्यक्तियों का हक आरक्षण के माध्यम से छीन लेते हैं।

समाज की पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्ति की मनोस्थिति को इस प्रकार नियंत्रित किए हुए हैं की जो आरक्षण प्राप्त कर रहा है वह आरक्षण को प्राप्त करना सही समझता है तथा जिसको नहीं प्राप्त हो रहा है वह उसे गलत समझता है और आरक्षण एक विवाद का विषय बन गया है। यही विचारधारा जब मजबूत अवस्था में होती है तो आरक्षण संबंधित जो विवाद है वह हिंसा का रूप भी कभी–कभी ले लेते हैं। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में और लोगों के चिंतन में आरक्षण के विषय पर किस प्रकार से सही समझ विकसित हो सकती है। आरक्षण का वर्णन भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण ढंग से किया जा चुका है तथा समय–समय पर उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं।

वर्तमान समय में आरक्षण जातिगत आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लिंग के आधार पर महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को दिया जाता है।

भारत में आरक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार है राजनीति में लोकसभा की सीटों पर विधानसभा की सीटों पर अनुच्छेद 330 से 334, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 में संविधान में इसका उपबंध किया गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16, शिक्षा के अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30, अन्य कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जिनमें लोन की व्यवस्था जो बैंकों से प्राप्ति पर आरक्षण उनमें भी मिलता है इसके अलावा सरकारी योजनाओं के तहत जो आवास प्राप्त होते हैं उनमें भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था रहती है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था वंचित वर्ग शोषित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा दी जाती है जिसके द्वारा शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त हो सके।

वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण। इसके अलावा दलित शोषित वर्ग या किसी भी प्रकार के शोषण से त्रस्त महिलाओं को बचाने के लिए बहुत सारे कानून भी सरकार द्वारा बनाए जाते हैं कुछ एक्ट होते हैं जैसे दहेज उत्पीड़न से बचाव हेतु कानून जिनके माध्यम से पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। सरकार के द्वारा कुछ आयोग भी बनाए गए हैं जैसे की राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ओबीसी कमिशन, यह संबंधित समुदाय की जानकारियां प्राप्त करते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव इन समुदाय इन वर्गों के साथ ना हो यह सुनिश्चित करते हैं की व्यवस्था सामान रहे।

आरक्षण के समय सीमा को लेकर भी अक्सर विवाद होते हैं भारतीय संविधान में राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा तय की गई थी किंतु शिक्षा रोजगार संबंधित आरक्षण की सीमा तय नहीं की गई। आज भी इन प्रश्नों पर भारतीय उच्चतम न्यायालय में मामले लंबित है की किस प्रकार कितना आरक्षण संबंधित जातियों और वर्गों को दिया जाए। भारतीय उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की सीमा संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मामला इंदिरा साहनी केस वर्ष 1992 है जिसके अंतर्गत यह तय किया गया था 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय को 1992 के इस इंदिरा साहनी केस की पुर्नसमीक्षा करनी चाहिए ताकि उच्च न्यायालयों द्वारा आरक्षण संबंधित मुद्दों परजो निर्णय दिए जा रहे हैं उनकी सही समीक्षा हो सके। आरक्षण के संबंध में कुछ तर्क भी है जो दिए जाते हैं समावेशी विकास अर्थात सबका साथ सबका विकास की प्रक्रिया को अपनाते हुए सबको लोकतंत्र में एक समान भागीदारी देना अर्थात जनसंख्या के आधार पर देश के लोकतंत्र में उनके भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को बढ़ावा देना यह भी एक आरक्षण का स्वरूप है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 09, September 2024

निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के द्वारा दी गई आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है, व्यवस्थागत सुधार अर्थात आरक्षण उन व्यक्तियों को मिले जो वंचित तथा शोषित है जिन्हें वास्तविक तौर पर आरक्षण की आवश्यकता है आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है किंतु फिर भी इसमें बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

हालांकि बहुत से माध्यम है जिनके द्वारा इन अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सकता है लेकिन आरक्षण के संबंध में होने वाले विवाद और संघर्ष के कारण इन्हें व्यवहारिक तौर पर लागू करना कठिन है। समुदाय को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता का भी ध्यान रखना आवश्यक है और सीमा से अधिक आरक्षण देना योग्यता की अनदेखी करता है आरक्षण की सीमा पर चर्चा होना अति आवश्यक है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में इस पर चर्चा चल भी रही है। इसके अलावा जातियों के भीतर क्रीमी लेयरऔर नॉन क्रीमी लेयरकी पहचान करना भी आवश्यक है। इनमें से कई समुदाय ऐसे हैं जो की राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत है तथा फिर भी वह आरक्षण के पात्र बने हुए हैं और पूरे समुदाय को इस प्रणाली का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं इनकी पहचान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण की पहुंच जरूरतमंद व्यक्ति तक हो ताकि आरक्षण संबंधित जो वाद विवाद है उनका सफलतापूर्वक निस्तारण हो सके।

जातिगत स्तर या धार्मिक आधार परआरक्षण की व्यवस्था पूरे समाज को पीछे की ओर धकेलती है वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण देना और जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी है चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति के हो उन्हें उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सही तौर पर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है।

संदर्भ सूची–

1. दैनिक जागरण, 27 अप्रैल 2021 (राष्ट्रीय संस्करण)
2. इंडिया टुडे, मई 2021
3. दैनिक जागरण, 21 अप्रैल 2021 (राष्ट्रीय संस्करण)
4. दैनिक जागरण, 01 अप्रैल 2021 (राष्ट्रीय संस्करण)
5. दैनिक जागरण, 03 अप्रैल 2021(राष्ट्रीय संस्करण)
6- अमर उजाला, आगरा 05 अगस्त 2022